

कार्यालय :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(संभाग - माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)
Email Id - echamparan.rmsa@gmail.com & aaypchamparan@gmail.com.

पत्रांक.....171.....

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मोतिहारी, दिनांक 16.07.2023.

विषय :-

वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने संबंधित रिक्ति एवं विज्ञापन NIC पर अपलोड करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निदेशक, (मा0शि0) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-400 दिनांक-12.07.2023 के आलोक में वर्ष 2023 में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रिक्ति एवं विज्ञापन इस पत्र के संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :-

1. विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति।
2. आवेदन जमा करने संबंधी सूचना।
3. आवेदन प्रपत्र।
4. निदेशक (मा0शि0) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-400 दिनांक-12.07.2023।
5. विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक-25.01.2018।

विश्वासभाजन,



जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

कार्यालय :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(संभाग - माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)
Email Id - echamparan.rmsa@gmail.com & aaypchamparan@gmail.com.

सूचना

पूर्वी चम्पारण जिले के विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु इच्छुक अहर्ताधारी अभ्यर्थी दिनांक-17.07.2023 से 20.07.2023 तक आवेदन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक की अवधि में जिला परिषद् मोतिहारी में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, कार्यालय पूर्वी चम्पारण में जमा कर सकते हैं। समयावधि के समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को आवेदित विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक) के साथ बी०एड० की योग्यता होना अनिवार्य है। एस०टी०ई०टी० (पेपर 2) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र, विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अहर्ता न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी०टेक० अथवा एम०टेक० की होगी। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, EWS से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

अधिक जानकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक-400 दिनांक-12.07.2023, विभागीय अधिसूचना सं०-51 दिनांक-25.01.2018 तथा विषयवार कोटिवार रिक्ति, आवेदन प्रपत्र आदि संलग्न है।

विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति निम्नवत है:-

क्र० सं०	विषय	UR		EBC		BC		SC		ST		E W S	RF	कुल रिक्त पद	अभ्युक्ति
		पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	दृ०बा-1, श्र०बा०-1, स्व०से०-1
2	गणित	1	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	2	12	दृ०बा-1, स्व०से०-1
3	भौतिकी	1	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	1	9	दृ०बा-1, श्र०बा०-1
4	रसायन शास्त्र	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	6	दृ०बा-1, स्व०से०-1
5	प्राणी शास्त्र	3	2	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	14	दृ०बा-1
6	वनस्पति शास्त्र	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	दृ०बा-1
	कुल :-	8	2	5	5	1	1	12	9	1	0	1	7	52	

नोट- (स्व०से०)- स्वतंत्र सेनानी के नतिनी/नाती/पोती/पोता को आरक्षण देय है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

16-07-23

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जिला- पुर्वी चम्पारण

उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदन प्रपत्र:-

रकबतप्रमाणित
फोटो

(क्रम संख्या):-

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक- प्रशिक्षित अप्रशिक्षित

1. जिला का नाम :-.....
2. विषय :-.....
3. अभ्यर्थी का नाम :-.....
4. (क) पिता का नाम :-.....
(ख) माता का नाम :-.....
5. जन्म तिथि :-.....
6. लिंग :- पुरुष महिला
7. 1 ली जनवरी को आयु :- वर्ष माह दिन
8. स्थाई पता- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....

थाना..... जिला..... पिन कोड.....

मोबाईल नं०..... ई-मेल.....

9. पत्राचार का पता- ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर.....

थाना..... जिला..... पिन कोड.....

10. कोटि:- सामान्य आरक्षित

11. आरक्षण की कोटि:- अ०ज० अ०ज०जा० अ०पि०व० पि०व०
आर्थिक रूप से कमजोर

12. यदि विकलांग हो तो-दृष्टि बाधित श्रवण बाधित अस्थिजन्य निःशक्त

योग्यता—

शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता	विद्यालय / मातृविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद् या वि०वि० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
माध्यमिक							
उच्चतर माध्यमिक							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
एम०टे०क०							
बी०ए०ड०							

13. (क) एस०टी०ई०टी० उत्तीर्णता का वर्ष एवं क्रमांक :-

(ख) एस०टी०ई०टी० का उत्तीर्णता का प्राप्तांक एवं प्रतिशत :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कारवाई की जा सकेगी।

स्थान.....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि.....

प्राप्ति रसीद

श्री / सुश्री / श्रीमती..... विषय.....

से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित / राजकीय / राजकीयकृत / राष्ट्रीयकृत / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या..... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम

पत्रांक : 09/वि0वि0प0रा0-09/2015 4.8.22

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवारताय,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/07/2023.

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निदेश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्ति पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन।	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई, 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई, 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई, 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई, 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 जुलाई, 2023 तक
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 371

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

विषय :

पटना, दिनांक 03.07.23

राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए कुल-3144 अतिथि शिक्षक विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं तथा 1113 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं।


उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :-

(i) संलग्न जिलावार रिक्त के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्त से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


31/7/23
(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

दिनागीय संकल्प सं0-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु आवंटित जिलावार रिक्ति।

क्र०	जिला का नाम	आवंटित रिक्ति
1	पटना	51
2	नालन्दा	34
3	गोंडपूर	32
4	बक्सर	19
5	रोहतास	34
6	भभुआ	20
7	मध्या	45
8	जहानाबाद	12
9	अरवल	9
10	मधेदा	25
11	भोजपुर	28
12	मुजफ्फरपुर	50
13	सितामढी	34
14	शिवहर	7
15	बेगूसराय	37
16	पू० चम्पारण	52
17	प० चम्पारण	40
18	सारण	43
19	सिवान	38
20	मोवालगंज	29
21	दरभंगा	41
22	नखुबनी	50
23	समस्तीपुर	48
24	लहरसा	20
25	सुपौल	23
26	मधेपुरा	22
27	मुंगेर	32
28	अररया	28
29	किशनगंज	17
30	कटिहार	31
31	भागलपुर	34
32	बाँका	24
33	मधेपुरा	17
34	जयपुर	8
35	लखीसराय	12
36	बगई	21
37	रामगढ़िया	16
38	मुंगेर	31
कुल		1113

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त हैं :-

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
कुल--		4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०ए०ए० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०ए०ए० की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ सी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विषयवार रिक्ति की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार-प्रसार के भेदेनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/- प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या-21 के अन्तर्गत विपत्र कोड-2202021090001 के विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकासी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(रॉबर्ट एल० चौगु)
सचिव,
शिक्षा विभाग।

30

ज्ञांपाक : 09/बि०वि०प०स०-09/2015 पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।

HO/-
सचिव,
शिक्षा विभाग।


ज्ञांपाक : 09/बि०वि०प०स०-09/2015 पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अयकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।

HO/-
सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञांपाक : 09/बि०वि०प०स०-09/2015 51 पटना, दिनांक 25-07-2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सचिव,
शिक्षा विभाग।